न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

225RTA2018-00263Ju2018-119 Shivnathsingh Vs Kishansingh etc

शिवनाथसिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति पुरोहित, निवासी- बस्सीनगर, तहसील तिवंरी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. किशनसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह
02. जगदीशसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह
03. नारायणसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह
04. लालसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह
05. हरीसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह
06. सायंती पत्नी श्री सोहनसिंह सभी जातियान् पुरोहित, निवासीयान् बस्सीनगर, तहसील तिवंरी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां दिनांक 25 मई 2018 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 120/2016 किशनसिंह व अन्य बनाम शिवनाथसिंह

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री नवीन शर्मा, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 एवं उनके अधिवक्ता बावजदू सूचना के अनुपस्थित

नि र्ण य

दिनांक : 18 अक्टूबर, 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 120/2016 किशनसिंह व अन्य बनाम शिवनाथसिंह में पारित निर्णय दिनांक 25 मई 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 09 जुलाई 2018 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 204/96 ग्राम बस्सीनगर तहसील तिवंरी में आई हुई है, जिसके उतर दिशा में चिपते हुए अप्रार्थी/अपीलार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 204/206 आयी हुई है। अप्रार्थी अपीलार्थी की खातेदारी की उपरोक्त भूमि के बीच में प्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण की खसरा नं. 204/95 रकबा 5 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी की भूमि आयी हुई है, जिस खसरा नं. 204/95 गैर मुमकिन ढाणी की भूमि में आने जाने हेतु प्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण अप्रार्थी/अपीलार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 204/206 में से जो कदीमी रास्ता, जिसे सलंग्न नजरी नक्शे में ए से बी दर्शाया गया है, का उपयोग करते है। किंतु वर्तमान में प्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा अप्रार्थी/अपीलार्थी से अपनी ढाणी में जाने हेतु रास्ता की मांग करने पर उसके द्वारा मना कर दिया गया एवं वह प्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में से आने जाने के लिए रोकने की धमकी दे रहा है, जिस कारण प्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण को अप्रार्थीगण/अपीलार्थी की भूमि खसरा नं. 204/206 में सें सलंग्न नजरी नक्शें अनुसार ए से बी मार्क के मध्य से 12 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नं. 204/95 गैर मुमकिन ढाणी में आने जाने हेतु उपलब्ध करवाया जावें। प्रत्यर्थीगण के प्रार्थना पत्र का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी द्वारा कथन किया कि वास्तव में अपीलार्थी की भूमि के मध्य किसी तरह की कोई ढाणी प्रत्यर्थीगण की नहीं आयी हुई है एव ना ही विगत 35 वर्षो से अधिक समय से तथाकथित ढाणी का ढाणी के रूप में उपयोग किया जा रहा है। वास्तव में उक्त भूमि बरवक्त पारिवारिक समझौते से ही अपीलार्थी के हक हिस्से में रखी गयी है, जिसका अपीलार्थी बहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में उपयोग तथा उपभोग करता आ रहा है। जिस जगह पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रत्यर्थीगण अपनी ढाणी होना बताते है, वहा मात्र नीम का पेड़ लगा हुआ है एवं उसके चारो ओर अपीलार्थी द्वारा खेती की हुई है। मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता अस्तित्व में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका कमिश्नर रिपोर्ट तलब की जाकर दिनांक 25 मई 2018 को पत्रावली राजस्व न्याय आपके द्वार अभिान में रखकर आलौच्य आदेश पारित कर दिया गया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्तगत पत्रावली दिनांक 28.04.2018 को सुनवाई हेतु मुकर्रर थी। उक्त दिनांक को पत्रावली न्यायालय में प्रस्तुत नही किये जाने पर अपीलार्थी द्वारा पत्रावली के संबंध में संबंधित रीडर से जानकारी चाही गयी। जिस पर रीडर द्वारा पश्चातवर्ती स्तर पर तारीख पेशी ज्ञात करने का अपीलार्थी को कहा गया। जिस पर अपीलार्थी निरन्तर रुप से अधीनस्थ न्यायालय के सम्पर्क में रहे किन्तु उन्हें आगामी तारीख पेंशी की सूचना नहीं दी गई। विचित्र रुप से दिनांक 22.06.2018 को हल्का पटवारी द्वारा अपीलार्थी को डी.डी. देने का प्रयास किया गया, जिस पर अपीलार्थी को अत्यन्त ही आश्चर्य हुआ एवं आलौच्य आदेश बाबत हल्का पटवारी द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया। जिस पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.06.2018 को आलौच्य आदेश की प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जो प्रति अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नकल की दिनांक 26.06.2018 उल्लेखित करते हुए अपीलार्थी को दिनांक 03.07.2018 को उपलब्ध करवायी गई। तब सर्वप्रथम अपीलार्थी को ज्ञात हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा षडयंत्रपूर्वक प्रत्यर्थीगण के साथ सांठ-गांठ करते हुए अपीलार्थी को सुनवाई की तारीख की सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना आलौच्य आदेश दिनांक 25.05.2018 को पारित कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय द्वारा दिनांक 28.04.2018 के पश्चात प्रकरण में न तो कोई सुनवाई हेतु आगामी तारीख पेशी मुकर्रर की गई एव ना ही अपीलार्थी को प्रकरण की कैम्प कोर्ट में सुनवाई हेतु किसी प्रकार का कोई नोटिस दिया गया, जिस कारण अपीलार्थी अथवा उनके अधिवक्ता कैम्प कोर्ट के समक्ष उपस्थित नही हुए, किंतु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय में आलौच्य आदेश में अपीलार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता दिनेश कुमार बिस्सा, मनोज कुमार बिस्सा की उपस्थिति दर्ज कर दी गई, जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय की समस्त कार्यवाहियां संदिग्ध हो जाती है। जिससे साफ जाहिर हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय मानस रखते हुए प्रत्यर्थीगण के पक्ष में आलौच्य आदेश पारित करने की गरज से अपीलार्थी के अधिवक्ता की उपस्थिति आलौच्य आदेश में लिख दी गई है। इस तरह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भू- अभिलेख निरीक्षक द्वारा सर्वथा गलत एवं मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत विरोधाभाषी रूप से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जो अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत फोटोग्राफस से भी सिद्ध होती है। जिस मौका रिपोर्ट के बाबत अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एतराज भी प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर बहस सुनने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 26 दिसंबर 2016 में यह आदेशित किया कि मौका रिपोर्ट के गुणावगुण के संबंध में अंतिम बहस के समय निर्णय पारित किया जायेगा। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र आज दिन तक अनिर्णित ही है। किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी में एक पक्षीय मानस रखते हुए अपीलार्थी की सुनवाई किये बिना ही एवं मौका रिपोर्ट के गुणावगुण पर किसी तरह का आदेश पारित किये बिना ही आलौच्य आदेश पारित करने में गंभीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है, जिस कारण भी आलौच्य आदेश निरस्त योग्य है। मौका रिपोर्ट पूर्णतया विरोधाभाषी है। मौका रिपोर्ट के अनुसार एक ओर तो यह लिखा गया था कि मौके पर ढाणी एवं रास्ते के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आलामात नजर आ रहे है एवं ढाणी की दीवार रेत नजर आ रही है, जबकि दूसरी ओर यह भी लिख दिया गया कि ढाणी के स्थान पर नीम का पेड़ के पास अपीलार्थी द्वारा ढाणी के मलबे पर टेक्टर चला कर फसल बो दी गई है। ऐसी स्थिति में जब अपीलार्थी द्वारा मौके पर टेक्टर चला कर फसल बो दी गई थी तो मौके पर ढाणी या रास्ते के आलामात होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, किंतु भू-अभिलेख निरीक्षक ने प्रत्यर्थीगण से मिलावट करते हुए गलत तथ्यों के आधार पर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई, जिसमें उनके द्वारा अपीलार्थी के खेत के मध्य से तथाकथित ढाणी में जाने हेतु रास्ता होने का उल्लेख कर दिया गया एवं वहा से प्रस्तावित मार्ग बता दिया गया। इस संबंध में मौके के फोटोग्राफस से भी स्पष्ट साबित होता है कि मौके पर किसी तरह की कोई ढाणी एवं उक्त तथाकथित ढाणी तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। मौके पर अपीलार्थी के खसरे की पूर्वी दिशा में खेत की माठ पर एक रास्ता पूर्व से मौजूद है जो दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर चलता है। जिसका हवाला मौका रिपोर्ट में भी दिया हुआ है। उक्त रास्ते की उत्तरी दिशा में अपीलार्थी के खेत के पश्चात सरकारी भूमि आयी हुई है, जिसमें से खसरा नं. 204/95 की भूमि पर आसानी से जाया जा सकता है। जिसे मौका कमिश्नर रिपोर्ट में मार्क एम.एन.ओ.पी. बताया गया है। उपरोक्त रास्ते के माध्यम से प्रत्यर्थीगण के खेत से उपरोक्त खसरा नं. 204/95 की भूमि पर पहुंचा जा सकता है, जो सुलभ एवं लघुतम रास्ता है। धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान हस्तगत प्रकरण में लागू ही नही होते है। धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में किसी कृषक को अपनी कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतु आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में उपबंध किये गये है ना कि अपने मकान से किसी ढाणी में आने जाने हेतु। जबकि प्रत्यर्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत में सें खसरा नं. 204/95 गैर मुमकिन ढाणी में आने -जाने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हेतु रास्ते की मांग की गई है, जो विधिनुसार धारा 251-ए के तहत कत्तई प्रदान नहीं की जा सकती है। धारा 251-ए के अधीन उपचार आवश्यकता जनित उपचार है ना कि सुविधा के लिए। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 251-ए की उपरोक्त विधिक स्थिति को ध्यान में रखे बिना ही आलौच्य आदेश पारित करने में गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25 मई 2018 निरस्त फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक दिनांक 16 अप्रैल 2018 को पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 28 अप्रैल 2018 नियत की गई तथा दिनांक 28 अप्रैल 2018 को पत्रावली न्यायालय में पेश ही नही हुई तथा उसके पश्चात पत्रावली में कोई तारीख ही नियत नहीं की गई। दिनांक 25 मई 2018 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प न्याय आपके द्वार घेवड़ा में प्रस्तुत हुई तथा प्रार्थी/रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 204/206 में सें खसरा नं. 204/95 रकबा 05 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी में आवागमन हेतु 12 फीट चौड़ाई के रास्ते का आदेश पारित कर दिया गया। मौका फर्द दिनांक 19.09.2016 के मुताबिक '' पूर्व में प्रार्थीगण के दादा एवं उनके पिता निवास करते थे। **वर्तमान में ढाणी की मरम्मत नहीं होने से ढाणी ढह गयी है। मौके पर दीवारों की भिद्टी के ढेले पड़े है। वर्तमान में ढाणी के मलबे पर अप्रार्थीगण द्वारा फसल बो दी गई है तथा मौके पर एक नीम का पेड़ है। प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नं. 204/96 से उक्त ढाणी तक जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है।** '' मौका फर्द एवं पत्रावली पर उपलब्ध छायाचित्र से स्पष्ट हो जाता है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वर्तमान में मौके पर प्रार्थी/रेस्पो. की कोई ढाणी नहीं है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट्स द्वारा अपने खेत से ढाणी तक आवागमन हेतु रास्ते की मांग की गई, किंतु धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में किसी कृषक को अपनी कृषि जोत में कृषि कार्य हेतु आने जाने हेतु दूसरे कृषक की जोत में से रास्ता उपलब्ध करवाये जाने के प्रावधान है, न कि किसी व्यक्ति को अपनी सुविधा के लिए मकान से किसी गैर मुमकिन ढाणी में आने जाने हेतु। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251-ए की मंशा के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25 मई 2018 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/12/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर